



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में वादी की बाइक लूटने की घटना कारित करने के आरोपी लोकेश को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 08 माह का कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2000 में अभियुक्त लोकेश पुत्र कालूराम निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादी की बाइक लूटने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंधावली अहीर पर मु030सं0 136/2000 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत विनिहत किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 08.01.2026 को मात्र 08 न्यायालय जेएम कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त लोकेश को दोषी पाते हुए 08 माह के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

X @baghpatpolice

baghpatpolice

Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 08.01.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु030सं0 06/26 धारा 318(4) बीएनएस व थाना लोनी गाजियाबाद के मु030सं0 02/26 धारा 318(2), 303(2) बीएनएस में धोखाधड़ी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से धोखाधड़ी कर लिये गये एक जोड़ी कुण्डल (पीली धातु) व 12,550 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 06.01.2026 को थाना खेकड़ा पर वादिया ने लिखित सूचना दी कि फ्री में सरकार की तरफ से गैस सिलेन्डर दिलवाने के नाम पर, अभियुक्त रहीस पुत्र नामालूम निवासी ग्राम मुबारिकपुर (गलत नाम-पता) द्वारा वादिनी को बहला फुसलाकर व धोखाधड़ी कर वादिनी के कुन्डल अपनी स्कूटी में रखवाकर फरार हो गया है इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु030सं0 06/26 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।



दिनांक 03.01.26 को वादी जोगिन्दर पुत्र टेकचन्द निरो गांव शकलपुरा थाना लोनी गाजियाबाद ने थाना लोनी पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 02.01.26 को स्कूटी सवार एक अज्ञात व्यक्ति वादी की माता श्रीमती वीरमती को फ्री में गैस सिलेन्डर दिलाने के नाम पर बहला फसुलाकर व धोके से सोने के कुन्डल व एक सोने की चैन लेकर फरार हो गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर मु0अ0स0 02/26 धारा 318(2),303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 06/26 धारा 318(4) बीएनएस व थाना लोनी के मु0अ0स0 02/26 धारा 318(2),303(2) बीएनएस में धोखाधड़ी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से धोखाधड़ी कर लिये गये थाना लोनी के मु0अ0स0 02/26 से सम्बन्धित एक जोड़ी कुण्डल (पीली धातु) व थाना खेकडा के मु0अ0स0 06/26 से सम्बन्धित 12,550 रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी एकिटवा नं0 DL5SBT3239 बरामद हुई हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0स0 06/26 धारा 318 (4) बीएनएस थाना खेकडा में धारा 317(4) बीएनएस की बढोत्तरी की गई व थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रिहान उर्फ मिनजार पुत्र अनवर निवासी फ्लैट न.1554, तुलसी निकेतन, भौपुरा, गाजियाबाद स्थाई निवासी ग्राम एचौडा कम्बुह, थाना एचौडा कम्बुह जिला सम्भल।

अभियुक्त रिहान उर्फ मिनजार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0स0 06/26 धारा 318(4),317(4) बीएनएस थाना खेकडा बागपत
- मु0अ0स0 02/26 धारा 318(2),303(2) बीएनएस थाना लोनी, गारबाद
- मु0अ0स0 195/25 धारा 303(2),318(4),317(2) बीएनएस थाना अतरौली, अलीगढ़
- मु0अ0स0 116/25 धारा 303(2),316(2),317(2),318(4) बीएनएस थाना हरदुआगंज, अलीगढ़
- मु0अ0स0 281/25 धारा 316(2),317(2),318(2) बीएनएस थाना कवार्सी, अलीगढ़
- मु0अ0स0 353/24 धारा 316(2),317(2),318(4).3(5) बीएनएस थाना किरतपुर, बिजनौर

7.मु0अ0सं0 470/24 धारा 316(2),317(2),318(4),3(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद, बिजनौर

8.मु0अ0सं0 362/24 धारा 303(2),318(2) बीएनएस थाना डिबाई, बुलन्दशहर

9.मु0अ0सं0 285/25 धारा 303(2),318(4),317(2) बीएनएस थाना खुर्जा नगर, बुलन्दशहर

10.मु0अ0सं0 286/25 धारा 303(2),318(4),317(2) बीएनएस थाना खुर्जा नगर, बुलन्दशहर

11.मु0अ0सं0 287/25 धारा 303(2),318(4),317(2) बीएनएस थाना खुर्जा नगर, बुलन्दशहर

12.मु0अ0सं0 288/25 धारा 303(2),318(4),317(2) बीएनएस थाना खुर्जा नगर, बुलन्दशहर

13.मु0अ0सं0 289/25 धारा 303(2),318(4),317(2) बीएनएस थाना खुर्जा नगर, बुलन्दशहर

14.मु0अ0सं0 173/25 धारा 318(4),317(2) बीएनएस थाना आदमपुर, अमरोहा

15.मु0अ0सं0 470/24 धारा 318(4),316(2),317(2),3(5) बीएनएस थाना नजीबाबाद, बिजनौर

16.मु0अ0सं0 328/21 धारा 420 भादवि थाना मीरापुर, मुजफ्फरनगर

17.मु0अ0सं0 270/19 धारा 224,392,411 भादवि थाना असमौली, सम्भल

18.मु0अ0सं0 462/19 धारा 406,420 भादवि थाना गजरौला, अमरोहा

19.मु0अ0सं0 560/19 धारा 174ए भादवि थाना गजरौला, अमरोहा

बरामदगी का विवरण-

- एक जोड़ी कुण्डल (पीली धातु) (सम्बन्धित मु0अ0सं0 02/26 धारा 318(2),303(2) बीएनएस थाना लोनी जनपद गाजियाबाद)
- 12,550 रुपये नगद (सम्बन्धित मु0अ0सं0 06/26 धारा 318(4),317(4) बीएनएस थाना खेकड़ा जनपद बागपत)
- घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी एकिटवा नं0 DL5SBT3239

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1- उ0नि0 श्री राहुल यादव थाना खेकड़ा

2.है0का0 886 अमित कुमार थाना खेकड़ा

3.है0का0 115 वीरपाल थाना खेकड़ा



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 08.01.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब यू०पी० मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 45 पाउच अवैध देशी शराब यू०पी० मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु०अ०सं० 14/2026 धारा 60 आबकारी अधिरो में पंजीकृत पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अर्जुन पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना व जिला बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 45 पाउच अवैध देशी शराब यू०पी० मार्का ।

गिरफ्तारी टीम-

1-उ०नि० श्री देवेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-है०का० 818 इलियास थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-है०का० 632 विनोद कमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।